प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 219/2023

अनवान : –

1. मोहनलाल पुत्र महावीर जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. महावीर प्रसाद पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
3. सुनीता पुत्री महावीर जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
4. सन्तरों पुत्री महावीर जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 19.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 325/323 की कुल 6.3610 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चकदेईदासपुरा के खाता स0 112/102 की कुल 8.7140 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गुमानाराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि उनके पुत्रगणों पर संयुक्त रूप से औद हुई तथा प्रतिवादी स0 1 के नाम उक्त भूमि दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 का बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादीया स0 3 ता 4 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 2 की बहिन है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 325/323 की कुल 6.3610 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 बहिब खातेदार काश्तकार है व मौजा चकदेईदासपुरा के खाता स0 112/102 की कुल 8.7140 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 यथावत काबिज है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विषय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीया स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 325/323 की कुल 6.3610 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा चकदेईदासपुरा के खाता स0 112/102 की कुल 8.7140 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीया स0 3 व 4 ने अपना हक त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत सदस्य पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा वाद के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री [illegible] जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 325/323 की कुल 6.3610 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

जाते है तथा रोही मौजा चकदेईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 112/102 की कुल 8.7140 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 19/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:14 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 219/2023

अनवान : –

1. मोहनलाल पुत्र महावीर जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महावीर प्रसाद पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
3. सुनीता पुत्री महावीर जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
4. सन्तरों पुत्री महावीर जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 219 सन 2023 निर्णय दिनांक 19.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 325/323 की कुल 6.3610 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा चकदेईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 112/102 की कुल 8.7140 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

यह डिक्री आज दिनांक 19/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:14 IST
Reason: SelfAttested